

- आदेश :-

निदेशालय के आदेश क्रमांक: प.3(10062) निचिस्वा/विधि/2015/489 दिनांक 25.03.2015 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस0बी0सि0रि0पि0 संख्या 1991/2015 श्री रतन सिंह (फार्मा0) बनाम सरकार व अन्य में राजस्थान राज्य के लिये और उसकी ओर से याचिकोत्तर पर हस्ताक्षर करने एवम इन्हे सत्यापित करने तथा सम्बन्धित समस्त कार्यवाही करने के लिये उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (स्वास्थ्य) जोधपुर को प्रभारी अधिकारी केंस नियुक्त करते हैं।

प्रभारी अधिकारी को यह ब्यादिष्ट किया जाता है कि वे राजस्थान विधि एवं वैधिक कार्य विभाग नियमावली 1999 में उल्लेखित प्रभारी अधिकारी के दायित्व एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त अपनी नियुक्ति के तत्काल पश्चात अन्य कार्यवाही के साथ निम्न कार्य भी सम्पादित करेंगे:-

1. प्रकरण के तथ्यों के संदर्भ में तत्काल आवश्यक जानकारी एवं आगामी तारीख पेशी ज्ञात करके राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर न्यायालय में आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करेंगे।
2. न्याय विभाग को प्रपत्र ALERT LETTER की सूचना तत्काल प्रेषित करेंगे।
3. प्रकरण की विषय वस्तु से संबंधित सभी पत्रावलि/दस्तावेज/अधिनियम/नियम/ विनियम/परिपत्र/दिशा-निर्देश/अधिसूचना/आदेश/सूचना एवं सुसंगत तथ्य एकत्रित करेंगे।
4. प्रकरण में उठाये गए सभी तथ्य एवं बिन्दुओं पर प्रशासनिक अनुभाग से तथ्यात्मक स्थिति प्राप्त कर ऐसे तथ्यों के आधार पर प्रकरण का पैरा क्रमानुसार प्रतिवेदन तैयार करते हुए एवं ऐसी अतिरिक्त जानकारी अंकित करते हुए जो राजकीय अधिवक्ता एवं राज्यपक्ष के प्रतिरक्षण/पक्ष प्रस्तुतिकरण के लिए आवश्यक/सहायक हो, प्रस्तुत करेंगे।
5. प्रभारी अधिकारी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग से तथ्यात्मक विवरण प्राप्त करके राजकीय अभिभाषक को प्रकरण का ब्रीफ संलग्न प्रपत्र क में उपलब्ध करायेगे जिसमें प्रकरण की पैराक्रमानुसार तथ्यात्मक स्थिति के अतिरिक्त प्रकरण की विषयवस्तु का दिनांकवार विवरण एवं घटनाक्रम, संबंधित नियम, अधिनियम, अधिसूचना, परिपत्र एवं दिशा निर्देश और यदि पूर्व में समान बिन्दुओं पर निर्णित अधिकरण/उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के निर्णय Annexure-A- (संलग्न) List/Details of Dates and Events, Act, Rules, Notification, Circular, Guidelines etc. Courts Judgments under relevant & reference.) भी स्वयं के ज्ञान व विभाग के रिकार्डनुसार ज्ञात कर इस ब्रीफ में सम्मिलित किए जावेगे।
6. अधिकरण में दायर किए जाने वाले अपील/पुनर्विलोकन/पुनरीक्षण/विधि प्रार्थना पत्र आदि के संबंध में विभागीय तथ्यात्मक परिस्थितियों के कारण/आधार एवं तथ्यों का अभिलेख के साथ एकत्रिकरण करेंगे, जिनके आधार पर कार्यवाही सम्पादित की जानी है।
7. उपर्युक्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं सामग्री के साथ प्रभारी अधिकारी द्वारा राजकीय अधिवक्ता से व्यक्तिशः सम्पर्क करके लिखित कथन/प्रत्युत्तर/अपील/पुनर्विलोकन/पुनरीक्षण/प्रार्थना पत्र आदि तैयार करवाया जावेगा और प्रारूपित दस्तावेज एवं स्वयं एवं राजकीय अधिवक्ता के हस्ताक्षर करवाकर तथ्यों के सत्यापन/प्रमाणीकरण कर माननीय अधिकरण को प्रस्तुत करावे।
8. माननीय अधिकरण में पैरवी कर रहे राजकीय अधिवक्ता के पास प्रकरण पत्रावली परिपूर्ण एवं नवीनतम प्रगति व सूचनाओं सहित उपलब्ध रहे, यह सुनिश्चित करेंगे।
9. प्रकरण में माननीय अधिकरण में निर्धारित की गई सुनवाई की तारीख, प्रकरण की प्रगति एवं उसमें सम्पादित होने वाली आगामी कार्यवाही से स्वयं एवं विभाग को सदैव अवगत रखेंगे।
10. प्रभारी अधिकारी प्रत्येक तारीख पेशी को माननीय अधिकरण में उपस्थित होकर राजकीय अधिवक्ता की पैरवी करने में मदद करेंगे, साक्ष्य, अभिलेख एवं प्रकरण की वर्तमान नवीनतम प्रगति प्रशासनिक अनुभाग संबंधित कार्यालय/अधिकारी से ज्ञात करके माननीय अधिकरण में प्रस्तुत करवायेगे। इस हेतु प्रभारी अधिकारी प्रकरण की नवीनतम जानकारी एवं प्रगति निरन्तर प्राप्त करते रहेंगे।
11. प्रभारी अधिकारी प्रत्येक तारीख पेशी का कार्यवाही विवरण एवं आगामी तारीख पेशी का पत्रावली पर अंकन कर विभाग को अवगत करायेगे और LITES के प्रपत्र 7 में आगामी तारीख का व्यक्तिशः इन्द्राज करवायेगे।
12. प्रभारी अधिकारी द्वारा माननीय अधिकरण से कोई आदेश, निर्देश, निर्णय पारित होने पर विभाग को उसके तथ्यों सहित उसी दिन जानकारी/सूचना उच्चाधिकारी को देनी होगी और माननीय अधिकरण के उक्त निर्देश/आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु उसी दिन अथवा आगामी दिवस को आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
13. न्याय विभाग को निर्धारित प्रपत्र Court Order Information में निर्णय की सूचना देनी होगी।
14. प्रकरण में स्वयं की रिपोर्ट और राजकीय अधिवक्ता की राय के साथ माननीय अधिकरण के निर्देश, आदेश, निर्णय की प्रमाणित प्रति माननीय अधिकरण से प्राप्त कर तत्काल विभाग को प्रस्तुत करेंगे।
15. Case Alert, order Alert एवं reminders का प्रतिउत्तर प्रभारी अधिकारी स्वयं न्याय विभाग को प्रस्तुत करवायेगे और माननीय अधिकरण के निर्णय के संदर्भ में सम्पादित कार्यवाही एवं प्रगति से भी से न्याय विभाग को समय-समय पर अवगत करवाया जावेगा।
16. विभाग के विरुद्ध पारित निर्णय के संदर्भ में आगामी अपीलीय कार्यवाही में अन्य प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति अथवा निर्णय की अनुपालना होने तक प्रभारी अधिकारी का दायित्व निरन्तर रहेगा।
17. प्रभारी अधिकारी अपील प्रकरणों की मॉनिटरिंग हेतु न्याय विभाग की वेबसाइट LITES के निर्धारित सभी प्रपत्रों का संधारण करेंगे एवं LITES/Updation Center को समय-समय पर प्रकरण प्रगति व अद्यतन सूचना प्रस्तुत करेंगे।
18. प्रभारी अधिकारी का स्थानान्तरण/सेवानिवृत्त होने की स्थिति में अथवा प्रकरण अन्य प्रभारी अधिकारी को स्थानान्तरित होने पर सभी प्रकरणों की सूची, पत्रावलि, अभिलेख, आगामी तारीख पेशी और उस पर माननीय अधिकरण में सम्पादित होने वाली कार्यवाही का विवरण नवीन प्रभारी अधिकारी का उपलब्ध करवाया जावेगा, अन्यथा स्थिति में अंतिम वेतन भुगतान प्रपत्र (एलपीसी) जारी नहीं होगा।
19. यदि प्रभारी अधिकारी उपर्युक्त निर्देशों की उपेक्षा करता है अथवा इनके प्रति असावधान पाया जाता है तो स्वयं को अनुशासिक कार्यवाही हेतु उत्तरदायी बनायेगा।

निदेशक (जन स्वास्थ्य),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर
दिनांक:- 30/4/15

क्रमांक : प.3(10062)/निचिस्वा/विधि/2015/ 653

प्रतिलिपि:-सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), मुख्यालय।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल जयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी केंस उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (स्वास्थ्य) जोधपुर को रिट व नोटिस की प्रति भेजकर लेख है कि पूर्व केंस प्रभारी अधिकारी से संबंधित रिकार्ड प्राप्त कर प्रकरण में सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारी सम्पर्क कर पैरावाईज तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त कर सम्बन्धित समस्त सुसंगत अभिलेख सहित प्रकरण में नियत सुनवाई दिनांक से पूर्व श्री अनिल कुमार बिस्सा, एडिशनल गवर्नमेंट कौंसिल (चिकित्सा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से सम्पर्क कर प्रकरण जवाब अथवा माननीय न्यायालय में पेश करने की कार्यवाही करें एवं प्रत्येक सुनवाई दिनांक को माननीय न्यायालय में हुई कार्यवाही/प्रगति से एवं सुनवाई से निरन्तर अवगत करवाते रहें तथा सरकार की ओर से समुचित पैरवी कराते हुये राज्य पक्ष प्रस्तुत करें। साथ ही प्रकरण की प्रगति को समय-समय पर लाईट्स की वेबसाइट पर अपडेशन करवाना सुनिश्चित करें।
4. पूर्व प्रभारी अधिकारी केंस उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (स्वास्थ्य), पाली को प्रेषित कर लेख है कि आप के पास उपलब्ध प्रकरण से सम्बन्धित समस्त पत्रादि/तथ्यात्मक टिप्पणी/अभिलेख/पत्रावली नवनियुक्त प्रभारी अधिकारी केंस को सम्भालकर निम्न हस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली को उनके पत्रांक/विधि/2015/5085-90 दिनांक 16.04.15 के क्रम में।
6. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि वर्णित प्रकरण की प्रगति को समय-समय पर लाईट पर अपडेशन करवाना सुनिश्चित करावे।
7. उप निदेशक, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जोधपुर।
8. श्री अनिल कुमार बिस्सा, एडिशनल गवर्नमेंट कौंसिल (चिकित्सा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर, जबरेश्वर महादेव मंदिर के सामने, करतारपुरा, जोधपुर-342001 मो. नं. 9413130081
9. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को वास्ते विभाग की साईड पर अपलोड करने एवं संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जोधपुर तथा संबंधित अधिकारियों को ई-मेल करने बाबत।
10. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, विधि अनुभाग, मुख्यालय।
11. रक्षित पत्रावली।

सहायक-विधि परामर्शी
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।